न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 94/2019 दायरा दिनांक : 18.11.2019

उनवान

1– पूरीया आयु 80 साल आत्मज किशोर, जाति तंवर, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– नानूराम आयु 25 साल आत्मज शंकरलाल, जाति तंवर, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज जगन्नाथ, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– मांगीलाल आत्मज शंकर, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– मांगीबाई पुत्री शंकर, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– सुशीलाबाई पुत्री शंकर, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– भेरीबाई बेवा शंकर, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील संख्या 95 / 2019 दायरा दिनांक : 18.11.2019

उनवान

1– पूरीया आयु 80 साल आत्मज किशोर, जाति तंवर, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– नानूराम आयु 25 साल आत्मज शंकरलाल, जाति तंवर, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज जगन्नाथ, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– मांगीलाल आत्मज शंकर, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– मांगीबाई पुत्री शंकर, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– सुशीलाबाई पुत्री शंकर, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– भेरीबाई बेवा शंकर, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम मोठपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.03.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 142/2014 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 94/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने एक दावा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया था इस दावे को लोक अदालत में रखने की अपीलांट को कभी कोई सूचना प्राप्त ही नहीं हुई तथा अपीलांट को लोक अदालत में प्रकरण को रखने बाबत किसी ने नहीं बताया अपीलांट ने किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं दिया । अपीलांट ने किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दी । अपीलांट को सूचना के बिना तथा अपीलांट को सुने बिना दिनांक 08.06.2016 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । रेस्पोडेंट ने तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालय से गलत रूप से निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली इस प्रकार निर्णय व डिक्री कानूनी एवं तथ्यपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार है । अपीलांट विवादग्रस्त आराजी पर निरन्तर बहैसियत खातेदार कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है । अपीलांट को सुनवाई एवं जवाबदेही एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्रारकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पोडेंट ने फ्राड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.06.2016 अपास्त की जावे ।

अपील संख्या 95/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

है लेकिन रस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय से तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से निर्णय एवं फाईनल डिक्री प्राप्त कर ली, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तथा पक्षकारान को कोई नोटिस जारी नहीं किये । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट से प्रस्ताव बंटवारा पर कोई ऐतराज नहीं मांगे । अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा मिटस एवं बाउन्डस के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया। अपीलांट को वक्त पार्टीशन मौके पर नहीं बुलाया गया । वादग्रस्त आराजी अपीलांट के कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी जिसमें अपीलांट के अकेले के स्वामित्व व खातेदारी की है । इस प्रकार तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिक्री प्राप्त की है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत केम्प में निर्णय व डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी अनुपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामील नहीं करवाये गये । अधीनस्थ न्यायालय में कायम

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

मुकामान का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं हुआ तथा ना ही नोटिस जारी किये गये । लोक अदालत में सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है जबकि उक्त प्रकरण में कोई सहमति नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण जवाबदावा में चल रहा है जिसमें बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया गया है । फाईनल डिक्री में बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है केवल वादी को ही हिस्सा दिया गया है । फाईनल डिक्री में सभी की उपस्थिति होनी चाहिए और वादग्रस्त आराजी के अलग अलग हिस्से बनने चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलें न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प सरड़ा में दिनांक 08.06.2016 को पेश हुई जिसमें प्रतिवादी अपीलांट पूरिया की उपस्थिति दर्शायी गई है । वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है जबकि वादीगण रेस्पोडेंट की उपस्थिति/अनुपस्थिति बाबत कोई आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इस प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 94/2019 एवं 95/2019 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

08.06.2016 एवं अंतिम डिकी दिनांक 04.05.2018 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा